

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर

क्रमांक : जोधपुर डिस्कॉम/अअ-पी०पी०एण्ड एम०/फा० सामान्य शाखा/प्रे० 1475 - दिनांक 24/10/02

आदेश

पूर्व गडल के कृषि कनेक्शन- दिशा-निर्देश (तृतीय संस्करण) के विन्दु संख्या 21 (ब) (11) के अनुसार 5 वर्ष से अधिक कटे हुये कृषि कनेक्शनो को पुनः कनेक्शन साधारण कृषि श्रेणी में नहीं करने, तकमीना एल.टी. रहित प्रणाली से बनाकर लाईन का सम्पूर्ण खर्चा रुपये 1450/ प्रति हार्स पॉवर ट्रांसफार्मेशन चार्ज एंव यदि 11 के.वी. के वी.आर अतिशत से अधिक है तो वी.आर. चार्ज 10 हार्स पॉवर तक रुपये 1500/ प्रति हार्स पॉवर से अधिक रुपये 750/ प्रति हार्स पॉवर अतिरिक्त लिये जाने का प्रावधान है। इससे उपभोक्ता को अत्यधिक राशि जमा करवानी पडती है।

अब कृषकों को अवाल के वर्ष में राहत पहुंचाने के उद्देश्य से कटे हुये कृषि कनेक्शन को पांच वर्ष तक जुडवाने में मिल रही सुविधा दिसम्बर, 2002 तक पांच वर्ष से अधिक कटे हुये कनेक्शनो पर भी दी जा रही है।

उक्त आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।



(एच०एस०देवडा)

उप मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

बे/पी